प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 30 सितम्बर, 2020***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अरविन्द सैनी पुत्र श्री श्याम सिंह,निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-16933/प्रोवेशन-3/फार्म-ए(एम-05.06.2020) दिनांक-03.07.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अरविन्द सैनी पुत्र श्री श्याम सिंह, आदमपुर मोचड़ी, थाना-खतौली, जिला-मुजफ्फरनगर का निवासी है। बंदी दिनांक 27.11.2003 की रात में विकास शर्मा वादी के घर जाकर उसके पुत्र अभिषेक को बुलाकर ले गया। अभियुक्तगण विकास,राजेश, आशू, अरविन्द, राजकुमार व कैलाश का इरादा वादी से उसके पुत्र के अपहरण के बदले 10 लाख रूपये वसूलने का था। उक्त प्रयोजन में असफल होने एवं अपहृत अभिषेक को शक हो जाने के कारण सहअभियुक्तों के साथ मिलकर हत्या कर लाश को दो भागों में बाट कर अलग-अलग बोरों में भरकर कस्वा जानसठ के जंगल/खेतों में दबा दिया तथा पुलिस को अलग- अलग स्थानों से अभिषेक का शव बरामद कराया गया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-184/2004धारा-364,302/34,201 भ0द0वि0 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, एफ0टी0सी0 प्रथम, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 01.02.2007 द्वारा मृत्यु दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.01.2016 द्वारा धारा- 302/34 के अन्तगर्त दी गयी मृत्यु दण्ड की सजा को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 24.05.2020 तक 16 वर्ष 05 माह 22 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 06 माह 21 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट,मुजफ्फरनगर की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 18.01.2020 में जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बंदी के साक्षात्कार उपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है तथा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बंदी की समयपूर्व रिहाई पर निश्चित ही पीडित पक्ष को मानसिक आघात के साथ- साथ भय बने रहने की संभावना से इन्कार नहीं किये जाने की आख्यां अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बंदी ने दिनांक 27.11.2003 को सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अभिषेक के अपहरण के बदले 10 लाख रूपये वसूलने में असफल होने पर हत्या कर लाश को दो भागों में बाट कर अलग- अलग बोरों में भरकर जंगल/खेत में दबा देने

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होनें, बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अरविन्द सैनी पुत्र श्री श्याम सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी अरविन्द सैनी (बन्दी संख्या-16843) पुत्र श्री श्याम सिंह,निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-426/2020/729(1)/22-2-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री को सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-426/2020/729/22-2-2020-17(1084)/2019

दिनांक 30 सितम्बर, 2020 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अरविन्द सैनी पुत्र श्री श्याम सिंह, आदमपुर मोचड़ी, थाना-खतौली, जिला-मुजफ्फरनगर का निवासी है। बंदी दिनांक 27.11.2003 की रात में विकास शर्मा वादी के घर जाकर उसके पुत्र अभिषेक को बुलाकर ले गया। अभियुक्तगण विकास,राजेश, आशू, अरविन्द, राजकुमार व कैलाश का इरादा वादी से उसके पुत्र के अपहरण के बदले 10 लाख रूपये वसूलने का था। उक्त प्रयोजन में असफल होने एवं अपहृत अभिषेक को शक हो जाने के कारण सहअभियुक्तों के साथ मिलकर हत्या कर लाश को दो भागों में बाट कर अलग- अलग बोरों में भरकर कस्वा जानसठ के जंगल/खेतों में दबा दिया तथा पुलिस को अलग- अलग स्थानों से अभिषेक का शव बरामद कराया गया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-184/2004धारा-364,302/34,201 भ0द0वि0 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, एफ0टी0सी0 प्रथम, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 01.02.2007 द्वारा मृत्यु दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.01.2016 द्वारा धारा- 302/34 के अन्तगर्त दी गयी मृत्यु दण्ड की सजा को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 24.05.2020 तक 16 वर्ष 05 माह 22 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 06 माह 21 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट,मुजफ्फरनगर की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 18.01.2020 में जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बंदी के साक्षात्कार उपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है तथा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बंदी की समयपूर्व रिहाई पर निश्चित ही पीडित पक्ष को मानसिक आघात के साथ- साथ भय बने रहने की संभावना से इन्कार नहीं किये जाने की आख्यां अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बंदी ने दिनांक 27.11.2003 को सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अभिषेक के अपहरण के बदले 10 लाख रूपये वसूलने में असफल होने पर हत्या कर लाश को दो भागों में बाट कर अलग-अलग बोरों में भरकर जंगल/खेत में दबा देने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होनें, बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अरविन्द सैनी पुत्र श्री श्याम सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in